न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2024/272
मुकदमा नम्बर 109/2024

दर्ज दिनांक–19.06.2024

1. ओमेन्द्र पुत्र विधाधर
2. सौरभ पुत्र विधाधर
3. मनभरी देवी पत्नी विधाधर समस्त जाति जाट निवासी ग्राम भरवाडी,तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू(राज.)
4. महावीर प्रसाद पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ग्राम देवगांव हाल आबाद भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू(राज.)
5. श्रीचन्द पत्रु हीराराम जाति जाट निवासी ग्राम देवगांव हाल आबाद भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू(राज.)

बनाम

1. सोहनी देवी पत्नी श्रीराम जाति यादव निवासी ग्राम भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू(राज.)
2. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुंझुनू

वकील आवेदक :– श्री विप्लव पण्डित, श्री तेजपाल सिंह
वकील अनावेदक संख्या 1 :– श्री संदीप सैनी
वकील अनावेक संख्या 2 :– पैरो. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 17.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में नई खाता सं. 182 की भूमि खसरा नं. 253 रकबा 5.57 है0 की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2024 के अनुसार पत्थरगड्डी कायम करवाई जावें।

प्रा. पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. एक व दो उपस्थित हो प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने में कोई एतराज व्यक्त नही किया गयां

वहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2024 स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में नई खाता सं. 182 की भूमि खसरा नं. 253 रकबा 5.57 है0 की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2024 के अनुसार पत्थरगड्डी कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितवद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 17/10/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner